



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-669

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 322062 दिनांक 30/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ramesh Chandra Saxena S/o Hazari Lal Saxena एवं Neeta Rani Saxena W/o Ramesh Chandra Saxena	श्रीमती ऋचा अग्रवाल पत्नी श्री दीपक अग्रवाल जरिये मु.आम. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हीरा बाबू	31	83.50 SQ. YARD	Private	DAKSHINPU RI PHASE -I	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना दक्षिणपुरी फेज-1 के उपविभाजित भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 83.50 वर्गगज का क्रमांक डी-4046 दिनांक 29.09.2021 को उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण पत्र श्रीमती ऋचा अग्रवाल पत्नी श्री दीपक अग्रवाल जरिये मु.आम. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हीरा बाबू के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2023 को श्रीमती ऋचा अग्रवाल पत्नी श्री दीपक अग्रवाल जरिये मु.आम. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

हीरा बाबू के द्वारा श्री मनोहर सिंह राठौड़ पुत्र श्री नाहर सिंह राठौड़ को कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2023 को श्री मनोहर सिंह राठौड़ पुत्र श्री नाहर सिंह राठौड़ के द्वारा रमेश चन्द्र सक्सैना पुत्र श्री हजारि लाल सक्सैना एवं श्रीमती नीता रानी सक्सैना पत्नी श्री रमेश चन्द्र सक्सैना को कर दिया गया। आवेदकगण द्वारा नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के मूल दस्तावेज बैंक में रहन है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Ramesh Chandra Saxena S/o Hazari Lal Saxena एवं Neeta Rani Saxena W/o Ramesh Chandra Saxena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |